भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2413
उत्तर देने की तारीख-15/12/2025

नियमित निदेशकों के बिना उच्च शिक्षण संस्थान

†2413. प्रो. सौगत राय:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जैसे उच्च शिक्षण संस्थान नियमित निदेशकों के बिना कार्य कर रहे हैं;
(ख) यदि हाँ, तो नियमित निदेशकों के बिना कार्य कर रहे आईआईटी संस्थानों की संख्या कितनी है और ऐसे संस्थानों में नियमित निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण हैं;
(ग) देश में नियमित कुलपतियों के बिना कार्य कर रहे केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है;
(घ) ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नियमित कुलपतियों की नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण हैं;
(ङ.) देश में नियमित निदेशकों के बिना कार्य कर रहे भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) का ब्यौरा क्या है; और
(च) देश के ऐसे आईआईएम में नियमित निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च): केंद्र द्ववारा वित्त पोषित उच्चतर शिक्षा संस्था नामतः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) और केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएस) संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित स्वायत्त संस्थान हैं और समय-समय पर इसके तहत बनाए गए संबंधित अधिनियमों/संविधियों/नियमों द्वारा शासित होते हैं। निदेशक और कुलपति के पदों पर रिक्तियों का उत्पन्न होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है, जिससे पद की निर्धारित अवधि के अनुसार या रिक्ति उत्पन्न होने पर मध्यावधि में समय-समय पर किया जाता है। निदेशक/कुलपति का पद एक सांविधिक पद है और उस पद पर नियुक्ति और कार्यकाल संबंधित अधिनियमों/संविधियों/नियमों में दिए गए प्रावधानों द्वारा शासित होता है। संबंधित अधिनियमों और संविधियों में पद रिक्त होने की स्थिति में निदेशक/कुलपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान निहित हैं। निदेशक/कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधित अधिनियमों/संविधियों/नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, वर्तमान पदाधिकारी का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही शुरू कर दी जाती है।

*****